सचिवालय अनुदेश के अनुसार किसी विषय से संबंधित संचिका सर्वप्रथम प्रशाखा में सहायक के स्तर से प्रशाखा पदाधिकारी को उपस्थापित होती है।

प्रशाखा पदाधिकारी अपनी टिप्पणी एवं प्रस्ताव के साथ से अवर सचिव/उपसचिव को पृष्टांकित करते हैं। उप सचिव के माध्यम से संचिका संयुक्त सचिव/अपर सचिव के समक्ष उपस्थापित होती है। संयुक्त सचिव/अपी सचिव के स्तर से संचिका आयुक्त एवं सचिव के आदेशार्थ भेजी जाती है।

आवश्यक्तानुसार (कार्यपालिका नियमावली के तहत्) संचिका आयुक्त एवं सचिव द्वारा मंत्री/मुख्यमंत्री के आदेशार्थ भेजी जाती है।